लोक शिक्षण संचालनालय ,मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल– 462021
ई-मेलphysicaldpi@mp.gov.in

क्रमांक / शा.शि. / ए / 01 / Wp7081 / एम.पी.ऑनलाईन / 2022–23 392 भोपाल दिनांक 03/06/2022

प्रति,

1. **समस्त संयुक्त संचालक,**
   लोक शिक्षण,संभाग म.प्र.।
2. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,**
   जिला मध्य प्रदेश।

विषयः–म.प्र. शालेय खेल–कूद गतिविधियों के संचालन हेतु ऑनलाइन स्पोर्ट्स मैनेजमेन्ट सिस्टम की website के संबंध में।

संदर्भः–शा.शि. / ए / 01 / WP7081 / एम. पी. ऑनलाइन / 2022–23 / 193 दि. 17.03.2022।

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। म.प्र. शालेय खेल–कूद गतिविधियों के सुव्यस्थित संचालन एवं डेटा मेनेजमेंट की दृष्टि से ऑनलाइन स्पोर्ट्स मैनेजमेन्ट सिस्टम Portal *sports.mponline.gov.in* तैयार किया गया है। पोर्टल एम.पी. ऑनलाइन की website पर उपलब्ध है जो दिनांक 01.06.2022 से प्रभावशील होगा। इस पोर्टल में निम्नानुसार दो व्यवस्थाएं की गई हैं :–

1. प्रदेश में विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी से जो क्रीड़ा शुल्क लिया जाता है वह म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र0 1802 / 20–2 / 2022 / 910 दिनांक 19.05.2022 अनुसार राज्य स्तर पर 10 प्रतिशत, संभागीय स्तर पर 15 प्रतिशत, जिला स्तर पर 35 प्रतिशत, एवं विद्यालय स्तर पर 40 प्रतिशत, खाते में ऑनलाइन जमा किया जायेगा।
2. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत उन खिलाडी छात्र एवं छात्राओं का पंजीयन किया जाना जो वर्ष 2022–23 तथा आगामी वर्षों में स्कूल / संकुल / विकासखण्ड / जिला / संभाग / राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं।

इस पोर्टल के संचालन हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं :–

1. प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को स्वंय को पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य है, भले ही उनके विद्यालय का कोई छात्र किसी खेल स्पर्धा में भाग न ले रहा हो।
2. विद्यालय के पंजीयन का संकुल स्तर पर सत्यापन किया जावेगा, इस पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है।
3. जो विद्यार्थी विभिन्न स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं उन्हें इस पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होगा। इन विद्यार्थियों को स्वंय अथवा उनके विद्यालय को क्रीड़ा निधि से भुगतान करना होगा। उक्त खेल प्रतियोगिताओं में विभिन्न स्तर पर भाग लेने वाले छात्र / छात्राओं को ही शुल्क देना होगा, सभी विद्यार्थियों को यह शुल्क नहीं देना है। विद्यालय के पंजीयन उपरांत ही छात्र हेतु पंजीयन फार्म पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगा।

निरंतर....

4. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश कमांकः एफ–1/2017/41–2 दिनांक 20.09.2019 के अनुसार पंजीयन शुल्क कियोस्क के माध्यम से करने पर प्रति खिलाडी राशि रुपये 30/– एवं स्कूल के द्वारा स्वंय के केन्द्र से भुगतान करने पर राशि रुपये 20/– प्रति खिलाड़ी देय होगा।
5. प्रदेश के शासकीय तथा अशासकीय खेल शिक्षक अपनी योग्यता एवं खेल संबंधी जानकारी/उपलब्धियों का पंजीयन कराएंगे। शासकीय खेल शिक्षकों के पंजीयन की राशि शाला कीड़ा निधि से दी जाएगी।
6. राज्य स्तर से खेल पंचाग जारी किए जाने पर उस पंचाग के अनुरूप विभिन्न स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
7. शाला स्तर पर पंजीकृत खिलाड़ी छात्र/छात्राओं का सत्यापन संकुल द्वारा ऑनलाइन किया जावेगा।
8. संकुल स्तर पर खेलवार खिलाड़ी दलों का चयन कर चयनीकृत सूची को ऑनलाइन अपलोड किया जावेगा तथा संकुल स्तर पर आयोजित शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में चयनित दलों की सूची एवं पात्रता प्रमाण पत्र प्रेषित संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।
9. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर खेलवार खिलाड़ी/दलों का चयन कर पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज की जावेगी तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रमाण–पत्र ऑनलाइन दर्ज कर खिलाड़ी छात्र/छात्राओं को प्रदाय किये जाएंगे।
   - 9.1 जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों के पात्रता प्रमाण पत्र एवं दलों की सूचियां संभागीय कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।
   - 9.2 जिला स्तर पर खेलवार खिलाड़ी/दलों के चयन हेतु चयनकर्ताओं की नियुक्ति की पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज की जावेगी।
   - 9.3 जिला स्तर पर खेलवार रैफरियों/ऑफीशियल्सों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जावेगी।
10. संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा संभाग स्तर पर खेलवार खिलाड़ी/दलों का चयन कर पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज की जावेगी।
   - 10.1 संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के सहभागिता/मेरिट प्रमाण–पत्र ऑनलाइन दर्ज कर खिलाड़ी छात्र/छात्राओं को प्रदाय किये जाएंगें।
   - 10.2 ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का निराकरण नियमानुसार समय सीमा में किया जायेगा।
   - 10.3 संभाग स्तर पर चयनित खिलाड़ियों के पात्रता प्रमाण पत्र एवं दलों की सूचियां लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।
   - 10.4 संभाग स्तर पर खेलवार खिलाड़ी/दलों के चयन हेतु चयनकर्ताओं की नियुक्ति की पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज की जावेगी।
   - 10.5 संभाग स्तर पर खेलवार रैफरियों/ऑफीशियल्सों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जावेगी।
11. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा राज्य स्तर पर ऑनलाइन खेल पंचाग जारी किया जावेगा।
   - 11.1 राज्य स्तर पर खेलवार खिलाड़ी/दलों का चयन हेतु चयनकर्ताओं को नियुक्त कर पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज की जावेगी।

निरंतर...

11.2 राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के सहभागिता/मेरिट प्रमाण–पत्र ऑनलाइन दर्ज कर खिलाडी छात्र/छात्राओं को प्रतियोगिता स्थल पर प्रदाय किये जायेगें।

11.3 खेलों में ऑन लाइन प्राप्त शिकायतों का निराकरण निर्धारित खेलों के नियमानुसार समय सीमा में किया जावेगा।

11.4 राज्य स्तर पर चयनित खिलाड़ियों के पात्रता प्रमाण पत्र एवं दलों की सूचियां राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिताओं हेतु प्रेषित की जावेगी।

11.5 राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त विजेता खिलाड़ियों की जानकारी संचालनालय हेतु प्रतियोगिता स्थल पर दल प्रमुख द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जावेगी।

11.6 राज्य स्तर पर खेलवार रैफरियों/ऑफीशियल्सों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जावेगी।

पूर्व प्रक्रिया में पात्रता प्रमाण पत्र की 05 प्रतियों के साथ तीन वर्षो की अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो आदि की प्रमाणित छायाप्रति फार्म के साथ चस्पा करना होती थी, जिसका संपूर्ण व्यय खिलाडी छात्र/छात्राओं को वहन करना पडता था। ऑनलाइन पंजीयन होने से संस्था, विद्यालय, विकासखण्ड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों के संधारण में समय/धन की बचत होगी तथा ऑनलाइन दर्ज अभिलेख मे त्रुटियों की संभावना न्यूनतम होगी।

उक्त कार्य किये जाने संबंधी जानकारी ***sports.mponline.gov.in*** के USER-MANUAL पर अपलोड है। तकनीकी समस्याएं होने पर हैल्पलाइन नं0 0755–6720200 पर संपर्क किया जा सकता है।

कृपया जून माह में समस्त शासकीय/अशासकीय विद्यालय पोर्टल पर अपना पंजीयन कराऐं ।

(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठ.कमांक/शा.शि./ए/01/7081/एम.पी.ऑनलाईन/2022–23/393 भोपाल दिनांक 03/06/20
प्रतिलिपी:–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संचालक, एम.पी. ऑनलाइन डीबी सिटी मॉल, कॉपरेट ब्लॉक,भोपाल।
3. समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय विद्यालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.